रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERD NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 1987/भाद्र 26, 1909
No. 193] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1987 BHADRA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

संकल्प

संख्या-यू-23013/3/84-एल०डब्ल्यू० (खंड-2) —केन्द्रीय सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के दिनांक 5 नवम्बर, 1982 के संकल्प सं० यू-23013/8/82-एल० डब्ल्यू० जिसमें कि समय-समय पर संशोधन किया गया, के तहत गठित संयुक्त अध्ययन दल संख्या 1, में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् —

1 उक्त संकल्प में क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न लिखित प्रविष्टि जोड़ी जाये अर्थात् —

6 गोवा सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि सदस्य" ।

ए० के० श्रीवास्तव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th September, 1987

RESOLUTION

No. U-23013|3|84-LW(Vol. II).—The Central Government hereby makes the following changes in the composition of the Joint Study Team No. 1, constituted vide the Ministry of Labour and Rehabilitation Resolution No. U-23013|8|82-LW dated 5th November, 1982 as amended from time to time, namely :—

1. In the said Resolution after serial number (5) and entries relating thereto the following entry shall be added, namely :—

"6. Representative to be nominated by the Government of Goa— Member".

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare)|Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987